



## ज़बरन विवाह और कानूनी उम्र से पहले विवाह

ऑस्ट्रेलिया में किसी का ज़बरन विवाह कराना अपराध है।

ऑस्ट्रेलिया में, लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार है कि विवाह करना है या नहीं। आम-तौर पर, कानूनन विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु **18** साल से अधिक होनी चाहिए। कुछ परिस्थितियों में 16 साल की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति विवाह कर सकता है, परन्तु इसके लिए एक अदालती आदेश की ज़रूरत होती है।

विवाह के लिए विवश करने या धोखे से विवाह के लिए राज़ी करने को छोड़कर व्यक्ति का विवाह के लिए सहमत होना आवश्यक है।

अरेंज्ड मैरिज (माता-पिता द्वारा तय किया गया विवाह) जिसमें दोनों लोग विवाह के लिए स्वतंत्र रूप से सहमत होते हैं, ज़बरन विवाह से अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया में अरेंज्ड मैरिज वैध है।

यदि आपको या आपके किसी जानकार को खतरा है तो पुलिस को **000** पर फोन करें।  
ऑस्ट्रेलिया की पुलिस सुरक्षित है और इनपर भरोसा किया जा सकता है।

निःशुल्क व गोपनीय परामर्श और मदद के लिए 1800 RESPECT को **1800 737 732** पर फोन करें।

यदि आपको एक निःशुल्क दुभाषिए की ज़रूरत है तो **131 450** पर फोन करें।

ज़बरन विवाह के लिए किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश ले जाना या भेजना अथवा किसी दूसरे व्यक्ति से ऐसा करने की व्यवस्था कराना गैर-कानूनी है।

ज़बरन विवाह और कानूनी उम्र से पहले विवाह की घटनाओं को कभी-कभार लोगों को उनकी इच्छा के विपरीत किसी दूसरे देश या सीमा-पार ले जाने से जोड़ा जाता है, और यह गैर-कानूनी है।

क्या आपको, या आपके किसी जानकार को कोई खतरा है?

ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (Australian Federal Police - AFP) को **131 237** पर फोन करें। AFP प्रारम्भिक सलाह प्रदान कर सकती है और ज़बरन विवाह, कानूनी उम्र से पहले विवाह या मानव तस्करी के शिकार लोगों को सहायता के लिए रेफर कर सकता है, इसमें आवास, वित्तीय सहायता, सलाह-मशवरा और कानूनी परामर्श शामिल है।

और अधिक जानकारी के लिए AFP की वेबसाइट के लिंक [www.afp.gov.au](http://www.afp.gov.au) का अनुसरण करें।

ऑस्ट्रेलिया में ऐसी अन्य सेवाएँ हैं जो मदद कर सकती हैं।

**1800 RESPECT** ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न, पारिवारिक एवं घरेलू हिंसा परामर्श सेवा (Australia's National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service) है। यह निःशुल्क व गोपनीय टेलीफोन व ऑनलाइन परामर्श और सूचना प्रदान करती है। परामर्शदाता आपकी बात सुनेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे और वे आपके स्थानीय क्षेत्र में दूसरी सहायता सेवाओं तक आपको रेफर कर सकते/सकती हैं।

**1800 737 732** पर फोन करें या 1800 RESPECT की वेबसाइट [www.1800RESPECT.org.au](http://www.1800RESPECT.org.au) पर जाएँ।

क्या आपको किसी दुभाषिए की ज़रूरत है?

अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service - TIS) को **131 450** पर निःशुल्क फोन करें। TIS अन्य सेवाओं के साथ बातचीत करने में आपकी मदद कर सकती है। TIS सलाह-मशवरा सेवा प्रदान नहीं करती है।

ज़बरन विवाह और मानव तस्करी के बारे में और अधिक जानकारी:

महान्यायवादी विभाग (Attorney-General Department) की वेबसाइट [www.ag.gov.au](http://www.ag.gov.au) के लिंक का अनुसरण करें।